राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/ नर्सिंग/नर्स–2/आर–413/18/ दिनांकः–

आदेश

श्री रामावतार, नर्स–2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालरी (चुरू) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ (चुरू) की दिनांक 22.12.16 को उप स्वास्थ्य केन्द्र हरपालू में दवाई वितरण करने जाते समय सडक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नि/आश्रित श्रीमति पूनम देवी को राजस्थान सेवा नियम 1996 के नियम 75 (1) (ख) के तहत उप नियम (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुग्रह राशि रूपये 20 लाख (अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुये हुई है तथा इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है।

वित्त विभाग के आदेश कमांक प.15 (3) /वित्त नियम/98 दिनांक 26.05.11 के तहत मृतक के परिजनों को विभिन्न स्त्रोतों जैसे प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कोष आदि से राहत/अनुग्रह राशि मंजूर की गई है तो उस राशि का समायोजन रूपये 20 लाख में किया जावें।

बजट मद–2071–01–104(02)–(00)–84

–sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/ नर्सिंग/नर्स–2/आर–413/18/ 931 दिनांकः– 26/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को उनकी टिप्पणी कमांक एएओ/472 दिनांक 07.06.18 के कम में।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, चुरू।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतनगढ (चुरू)।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ (चुरू)।
6. श्रीमति पूनम देवी, पत्नि स्व.श्री रामावतार, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ (चुरू)।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।